(वाद सं0.-5165/4/26/2020)

23.06.2021

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, अशोक कुमार शाही, के दिनांक–30.06. 2020 में सेवानिवृत्ति के उपरान्त सेवान्त लाभ का अब तक भुगतान नहीं किये जाने से से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **पुनर्वास पदाधिकारी, कोशी योजना, सुपौल** के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि " **श्री अशोक कुमार शाही, कनीय लेखा लिपिक दिनांक 30.06.2020 को सेवानिवृत्त हो चुके है। श्री शाही का सेवान्त लाभ 1. ग्रुप बीमा योजना की राशि का भुगतान पत्रांक 465 दिनांक 13.07.2020 द्वारा 2. सामान्य भविष्य निधि से अंतिम निकासो का भुगतान पत्रांक 548 दिनांक 05.09.2020 द्वारा 3. अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि का भुगतान पत्रांक 115 दिनांक 19.02.2021 एवं पत्रांक 220 दिनांक 12.04.2021 द्वारा 4. अंतिम पेंशन एवं उपादान की राशि का भुगतान हेतु कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना को इस कार्यालय का पत्रांक 4. दिनांक 05. 01.2021 द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जा चुका है। नियमानुसार श्री शाही को सभी सेवान्त लाभ का भुगतान किया जा चुका है।**

श्री शाही, कनीय लेखा लिपिक के पद पर कार्यरत थे, इनके द्वारा सेवाकाल में विभागीय पत्रांक 1621 दिनांक 13.12.2018 को दरकिनार करते हुए लोभ मे आकर वरीय लेखा लिपिक के वेतनमान का लाभ लिया गया था। प्रधान महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना द्वारा PPO No. &

202011081311 PO दिनांक 08.08.2020 को निर्गत किया गया था। जिसे महालेखाकार कार्यालय द्वारा जांचोपरान्त पुनः संशोधित PPO No. –

202011081311 P1 दिनांक 26.11.2020 को निर्गत किया गया। तद्नुसार इस कार्यालय द्वारा पेंशन एवं उपादान का भुगतान हेतु अनापति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जा चुका है। श्री शाही का मांग विभागीय पत्रांक 1621 दिनांक 13.12.2018 के आलोक मे गलत है, इनके द्वारा प्रतिशोध मे परिवाद आवेदन दाखिल किया गया है। श्री शाही द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, बिहार पटना मे CWJC No. 5167/2021 श्री आशोक कुमार शाही एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य दायर किया गया है, यह मामला सुनवाई हेतु लंबित है।"

अब जबकि, परिवादी के सेवान्त लाभ का भुगतान किया जा चुका है तथा सेवा काल मे गलत भुगतान प्राप्त की गई राशि के सामंजन से संबंधित विवाद **माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना** में **विचाराधीन** है तो ऐसी परिस्थिति मे राज्य आयोग के स्तर पर उक्त मामले में कोई आदेश/निर्देश/अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

पुनर्वास पदाधिकारी, कोशी योजना, सुपौल के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार **पुनर्वास पदाधिकारी, कोशी योजना, सुपौल** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सदस्य

निबंधक